

6-7-2015

पत्रावली आज राजस्व लोक न्यायालय  
मदल सेवा केन्द्र गुणक पाथर  
पर जेश हुची बड़ी पोरवर मल  
उपस्थित। प्रकरण में नामक लक्ष्मीकान्त  
उत्तिमाया चेरोककर राज के रिपोर्ट  
ली गई। नामक लक्ष्मीकान्त ने अपनी  
रिपोर्ट में अंकित किया है कि स्वगत

$\frac{926}{0-24}$  ,  $\frac{928}{0-20}$  कुल रकमा 0-44 है

धना पना पि सालगा की अला  
खतेदारी में था, जो 136 के तहत  
दस्ता किया जाना उचित है।

आज राजस्व लोक

न्यायालय की पहना को महामन्त्र

रखने हुए वाद कादीगण डि

किया जाना उचित है।

P.T.O.

उप महामन्त्र अधिकारी

राजस्व विभाग

गठना राड वकीलजी जिडी किय

जाकर वकीलजी से भारतीय स्वतंत्र

$\frac{926}{0-24}$  ,  $\frac{928}{0-20}$  कुल किला 2 कुल

2+का 0-44 हेमर वाले ग्राम

मनाहरपुरा तहसील उनीपारा क

स्वतंत्रता के लक्ष्यकार घोषित किया जाता

है तहसीलदार उनीपारा से सभी

उत्कृष्ट राजस्व रिमांड को सुरक्षित

करने के आदेश दिये जाते हैं

पत्रा जिडी जारी है। पत्रावली

कालशुभकर केवल के रूप है

तथा फलर दाखिल हो

उप खण्ड अधिकारी  
उनीपारा जिला टोंक

प्रपत्र -5  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक  
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पायगा

उनवान

1. नाथूलाल पुत्र धन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम गलवानियां तहसील उनियारा जिला टोंक
  2. पोखरमल पुत्र धन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम गलवानियां तहसील उनियारा जिला टोंक
  3. धापूबाई बेवा धन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम गलवानियां तहसील उनियारा जिला टोंक
  4. नाथी पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम गलवानियां तहसील उनियारा जिला टोंक
  5. झूमा पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम गलवानियां तहसील उनियारा जिला टोंक
  6. किशनी पुत्री पन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम गलवानियां तहसील उनियारा जिला टोंक
  7. कालीबाई बेवा पन्ना जाति रेगर निवासी ग्राम गलवानियां तहसील उनियारा जिला टोंक
- वादीगण

बनाम

1. गोरधन पुत्र उंकार जाति बैरवा निवासी मनोहरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
  2. बंदी पुत्र उंकार जाति बैरवा निवासी मनोहरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
  3. गोपी पुत्र भूरा जाति बैरवा निवासी मनोहरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
  4. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0
  5. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
- प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा , दुरुरती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर :- 51 वर्ष 2007

वादी की ओर से श्री पोखरमल प्रतिवादी की ओर से परोकार राज नायब तहसीलदार उनियारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.7.2015 को श्री सुभाषचन्द्र शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी को आराजी ख0न0 926 रकबा 0.24, 928 रकबा 0.20 हैक्टर वाके ग्राम मनोहरपुरा तहसील उनियारा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। फरिक्केन खर्च अपना अपना वहन करे

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 07 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक  
उप खण्ड अधिकारी  
उनियारा जिला टोंक